संख्या-1026/2025/646/22-2-2024-17(407)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री मिहीलाल, निवासी जनपद काशीरामनगर, हाल जनपद-कासगंज की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-5781/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-22.02.2024), दिनांक 01.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री मिहीलाल, जो सूरतपुर खुशकरी, थाना-अमांपुर, जनपद-काशीरामनगर, हाल जनपद-कासगंज का निवासी है। जमीन देने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25-09-2009 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईंट, डण्डों व गला दबाकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)- सत्र परीक्षण संख्या-138/2009 में भा0द0वि0 की धारा-147,149,302 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कांशीराम नगर के आदेश दिनांक 20.12.2010 द्वारा मृत्युदण्ड जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14-08-2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2)- जी0एस0टी0 नं0-333/2012, भा0द0वि0 की धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, कासगंज के आदेश दिनांक 22-10-2013 द्वारा 04 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी ने दिनांक 08.02.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 19 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट,कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन देने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25.02.2009 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट, डण्डों व गला दबाकर 3 व्यक्तियों की हत्या करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

sh.up.gov.in

का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमर सिंह पुत्र मिहीलाल को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह (बन्दी संख्या-16518) पुत्र श्री मिहीलाल, निवासी जनपद-काशीरामनगर, हाल जनपद-कासगंज की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1026/2025/646(1)/22-2-2024 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-1026/2025/646/22-2-2024-17(407)/2024

दिनांकः 14 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री मिहीलाल, जो सूरतपुर खुशकरी, थाना-अमांपुर, जनपद-काशीरामनगर, हाल जनपद-कासगंज का निवासी है। जमीन देने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25-09-2009 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईंट, डण्डों व गला दबाकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)- सत्र परीक्षण संख्या-138/2009 में भा0द0वि0 की धारा-147,149,302 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कांशीराम नगर के आदेश दिनांक 20.12.2010 द्वारा मृत्युदण्ड जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14-08-2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2)- जी0एस0टी0 नं0-333/2012, भा0द0वि0 की धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, कासगंज के आदेश दिनांक 22-10-2013 द्वारा 04 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी ने दिनांक 08.02.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 19 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट,कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन देने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25.02.2009 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट, डण्डों व गला दबाकर 3 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमर सिंह पुत्र मिहीलाल को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।